



-प्रेस नोट-

दिनांक: 05.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 05.03.2025 को 01 वारण्टी **जग्गा पुत्र मुनेश निवासी ग्राम पुण्डैन थाना गागलहेडी सहारनपुर** (सम्बन्धित वाद स0 949/22 मु0अ0स0 29/17 धारा 60 आ0अधि0 थाना गागलहेडी सहारनपुर) को ग्राम पुण्डैन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जग्गा पुत्र मुनेश निवासी ग्राम पुण्डैन थाना गागलहेडी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष सुरेश कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री लोकेश सिंह राणा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 810 राहुल चौहान थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक 05.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ सामान बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 22.02.2025 को वादी मौ० मीशा पुत्र मौ० यामीन निवासी 4/740 मटिया महल थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरों द्वारा वादी के मकान का ताला तोड़कर घर के अन्दर रखे कीमती सामान जिसमें एलईडी, पानी टॉटी, बर्तन, कानो की सोने की बाली, कपड़े आदि चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु०अ०सं० 36/25 धारा 305(A)/331(3) बी०एन०एस० बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये थे। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कोतवाली नगर के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए प्रकाश में आये 01 शातिर चोर/अभियुक्त **सलमान उर्फ लन्दन पुत्र इस्लाम निवासी नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर दाल मंडी पुल के पास से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये एलईडी टीवी व अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी०एन०एस० की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि यह सामान जो मुझसे बरामद हुआ है मैंने करीब 15 दिन पहले पीर वाली गली गीता कालोनी में एक बन्द मकान से दिन में चोरी किया था। जिसे मैं आज बेचने के लिये कही जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सलमान उर्फ लन्दन पुत्र इस्लाम निवासी किराये का मकान मालिक श्रीमती मुन्ताज पत्नी नौशाद मौहल्ला नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 एलईडी टीवी (सैमसंग)
- 01 एल्युमिनियम का भगोना, 01 एल्युमिनियम की प्लेट, 05 स्टील की टॉटी व 01 टीवी की लीड

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं०- 38/19 धारा 4/25 आर्मस एक्ट एक्ट थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।
2. मु०अ०सं०- 53/17 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।
3. मु०अ०सं०- 72/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सदर बाजार, सहारनपुर।
4. मु०अ०सं०- 156/20 धारा 60 आबकारी अधि० थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।

5. मु0अ0सं0- 478/17 धारा 4/25 आम्स एक्ट थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर ।
6. मु0अ0सं0- 688/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सदर बाजार, सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर_थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
3. का0 296 तरुण शर्मा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
4. का01354 अभिषेक कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।



दिनांक:-05.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा जान से मारने की नीयत से मारपीट करने के 01 अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड (PCR) पर लेकर घटना में प्रयुक्त फावड़ा किया गया बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 19.10.2024 को वादी श्री सतीश कुमार पुत्र इकराम निवासी ग्राम बिजोपुरा द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट व गाली गलौज करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 440/2024 धारा 333/109/131(1) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर घटना में प्रयुक्त फावड़े की बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.03.2025 को थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 440/2024 धारा 333/109/131(1) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्त अनिकेत पुत्र विश्वास निवासी ग्राम बिजोपुरा थाना कोतवाली देहात सहारनपुर को माननीय न्यायालय से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर अभियुक्त अनिकेत उपरोक्त को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर का 06 घण्टे का पीसीआर रिमाण्ड प्राप्त किया गया। अभियुक्त अनिकेत उपरोक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक फावड़ा बरामद किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पीसीआर पर लाये गये अभियुक्त का नाम व पता:-

अनिकेत पुत्र विश्वास निवासी ग्राम बिजोपुरा थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

➤ घटना में प्रयुक्त एक अदद फावड़ा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 207 दिनेश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. का0 152 गौरव त्यागी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:-05.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 740 पेटी शराब (इम्पिरियल ब्लू ब्रान्ड की मदिरा पंजाब मार्का) एवं घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, आगामी पर्वों के दृष्टिगत अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम व इसके कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 04.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार सहारनपुर पुलिस टीम व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त शिवम कुमार पुत्र अजय कुमार निवासी ग्राम बदवा थाना रहोई जिला नालन्दा बिहार को राजकीय आयकर विभाग दिल्ली रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 740 पेटी शराब (इम्पिरियल ब्लू ब्रान्ड की मदिरा पंजाब मार्का) बरामद की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 111/2025 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व 318(4) बीएनएस में पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ - पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं पंजाब प्रांत से सस्ते दाम पर शराब खरीदकर बिहार राज्य में अधिक दाम पर बेच देता हूँ मुझे बिहार राज्य में शराब बेचने से अच्छा मुनाफा हो जाता है क्योंकि वहाँ पर शराब का कारोबार करना प्रतिबन्धित है। दिनांक 04.03.2025 को जब मैं ट्रक में शराब भरकर बिहार ले जा रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

शिवम कुमार पुत्र अजय कुमार निवासी ग्राम अम्बा (बदवा), थाना रहोई, जिला नालन्दा, बिहार।

बरामदगी का विवरण -

- अवैध शराब इम्पिरियल ब्लू ब्रान्ड की मदिरा पंजाब मार्का 191 पेटी-750 ML, 200 पेटी-375 ML, 50 पेटी-180 ML
- McDowells No 1 ब्रान्ड की मदिरा पंजाब मार्का 149 पेटी-750 ML, 50 पेटी -375 ML, 100 पेटी (180 ML) कुल 740 पेटी
- 01 ट्रक रजि0 नम्बर JH10CW- 9494

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री शैलैन्द्र कुमार आबकारी विभाग, सहारनपुर।

2. निरीक्षक श्री राजकमल सिंह आबकारी विभाग, सहारनपुर ।
3. निरीक्षक श्री पंकज कुमार आबकारी विभाग, सहारनपुर ।
4. निरीक्षक श्री संजीव कुमार आबकारी विभाग, सहारनपुर ।
5. है0का0 पप्पू सिंह आबकारी विभाग, सहारनपुर ।
6. का0 देवेन्द्र कुमार आबकारी विभाग, सहारनपुर ।
7. का0 भोपाल आबकारी विभाग, सहारनपुर ।
8. उ0नि0 शहरोज आलम थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
9. का0 1837 सचिन थाना सदर बाजार सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 05.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद, पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के 02 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 लाठी/डंडे बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 03.03.2025 को वादी मौ० हारून पुत्र जरीफ अहमद निवासी ग्राम फुलास अकबरपुर थाना देवबंद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. रहीश पुत्र नामालूम 2. महताब पुत्र नामालूम 3. अंजार पुत्र नामालूम 4. फरमान पुत्र नामालूम 5. शाहबाज पुत्र नामालूम निवासीगण फुलास अकबरपुर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर व अन्य अज्ञात द्वारा एक राय होकर वादी व वादी के परिवारजनों के साथ गाली गलौच करते हुए लाठी डंडो से हमला कर मारपीट करने के संबंध में थाना देवबंद पर मु०अ०स० 108/25 धारा 191(2)/352/115(2)/131 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में हत्या के प्रयास के वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू चौधरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित **अभियुक्तगण 1. अन्जार पुत्र महताब 2. फरमान पुत्र महताब निवासीगण ग्राम फुलास अकबरपुर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर** को पीलर न० 22 के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 लाठी/डंडे के बरामद हुए। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 109(1) बीएनएसएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने बताया कि उवैश का परिवार हमारे परिवार से किसी बात को लेकर रंजीश रखता है। दिनांक 02.03.2025 की रात्री को नवाज के समय हम लोग घर जा रहे थे तो रास्ते में उवैश हमारे साथ गाली गलौच करने लगा। जिसके बाद मैं अपने घर आ गया। बाद में मैं अपने घरवालों के साथ मिलकर उवैश के घर पर लाठी डंडो व फरसा आदि लेकर पहुँचे। जहाँ मैंने उवैश को फरसा मारने का प्रयास किया मगर वह बच गया। तभी मेरे भाई फरमान ने अपने साथ ली हुई लाठी से उवैश के सिर पर हमला किया। जिससे वह घायल हो गया और हम डर कर वहाँ से भाग गए।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

1. अन्जार पुत्र महताब नि० ग्राम फुलास अकबरपुर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
2. फरमान पुत्र महताब नि० ग्राम फुलास अकबरपुर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

बरामदगी-

- 02 लाठी/ डन्डे (घटना में प्रयुक्त)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 नरेन्द्र सिंह भडाना मय मय थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।
2. है0का0 458 धर्मपाल थाना देवबंद जनपद सहारनपुर ।
3. का0 2283 राजकुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 04.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ करने का 01 वांछित अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 11.09.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सौरभ पुत्र मनीष निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 211/2024 धारा 61(2)/137(2)/64(1)/87 बी0एन0एस0 व 5 एल/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.03.2025 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त सौरभ पुत्र मनीष निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर को गांव कातला खुर्द से गांव औरंगजेबपुर उर्फ नजीबपुरा जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

सौरभ पुत्र मनीष निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. का0 1749 सावन तोमर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।